भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग
राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र
सतर्कता अनुभाग

डाकघर: केट
इन्दौर-452013

संदर्भक्र.: 9/5/2017/सतर्कता/ 10

अप्रैल 2......, 2025

विषय : न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत अनुसूचित नियोजनों में दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों के लिए निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दरें प्रभावशाली करने बाबत् ।

मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय), नई दिल्ली द्वारा उनके दिनांक 28.03.2025 के परिपत्र सं. 1/6(3)/2025-LS-II द्वारा मार्गों अथवा रनवे के निर्माण तथा अनुरक्षण या भवन निर्माण कार्य एवं भूमिगत केबल कार्य में कार्य दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों के लिए निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दरों को पुनरीक्षित किया गया है। दिनांक **01.04.2025** से प्रभावी न्यूनतम मजदूरी की दैनिक दरें निम्नानुसार हैं:

कर्मचारियों की श्रेणी	दैनिक मजदूरी
1. अकुशल	₹ 674.00
2. अर्द्धकुशल/अकुशल पर्यवेक्षीय	₹ 760.00
3. कुशल/लिपिकीय	₹ 893.00
4. उच्च-कुशल	₹ 981.00

2. इस सम्बन्ध में अनुरोध है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, निर्माण भवन, नई दिल्ली के महानिदेशक द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन क्रमांक DG/SE/CM/CON/283 दिनांक 05/05/2015 के अनुसार यह सुनिश्चित करें कि आपके अधीन इस केन्द्र में चल रहे ठेके के कार्य में कार्यरत् श्रमिकों को दिनांक **01.04.2025** से प्रभावी उक्त दरों के अनुसार ही न्यूनतम मजदूरी का भुगतान संबंधित ठेकेदार द्वारा बैंक द्वारा अथवा ईसीएस या बैंक खाते में ऑनलाइन वेतन स्थानान्तरण के माध्यम से निर्धारित दिन पर किया जा रहा है।

3. ठेकेदार को कृपया यह निर्देश दें कि वे उनके अधीन कार्यरत् मजदूरों को दिनांक **01.04.2025** से प्रभावी उक्त न्यूनतम मजदूरी का भुगतान बैंक द्वारा अथवा ईसीएस या उनके बैंक खाते में ऑनलाइन वेतन हस्तांतरण के माध्यम से करें एवं उसकी सूचना अधोहस्ताक्षरी को अनिवार्य रूप से दें ।

(परिवेश जीनवाल)
प्रशासनिक अधिकारी-III

1. समस्त समूह निदेशक/सहनिदेशक, आरआरकेट
2. मुख्य अभियंता, सेवा एवं निर्माण विभाग, आरआरकेट
3. क्षेत्रीय निदेशक, आईआरपीएंडएसयू, आरआरकेट
4. उप नियन्त्रक (लेखा), आरआरकेट

अनुरोध है कि कृपया इस आदेश की एक प्रति संबंधित प्रभाग/अनुभाग के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करने की व्यवस्था करें।

सूचनार्थ प्रतिलिपि:

निदेशक कार्यालय, आरआरकेट